

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा 2025

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. पप्पू सिंह पुत्र पूर्ण सिंह जाति राजपूत निवासी कोला की नांगल तहसील पाटन जिला सीकर राज0।

-प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार पाटन जिला सीकर राज.।

-अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम

मुकदमा नम्बर 512/2025
जीसीएमएस नं0 2025/921

आदेश

दिनांक - 19/8/25

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार पाटन एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम कोला की नांगल पटवार हल्का घासीपुरा तहसील पाटन के खाता संख्या 80, 233 में प्रार्थीगण का गलत दर्ज नाम "पेपसिंह पुत्र पूरणसिंह" के स्थान पर सही व वास्तविक नाम "पप्पू सिंह पुत्र पूर्णसिंह" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार पाटन आदेश का भाग समझा जावें। उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

मुद्रा



(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)